



## अंतर्राज्यीय परिषिद की स्थायी समतिदिवारा पुंछी आयोग की रपोर्ट पर विचार-विमिश्न

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री शरी राजनाथ सहि की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषिद की स्थायी समतिने पुंछी आयोग की सभी 273 अनुशंसाओं पर विचार-विमिश्न किया। यह स्थायी समतिकी 13वीं बैठक थी।

- स्थायी समतिकी पछिले वर्ष की दो बैठकों में पुंछी आयोग की रपोर्ट के खंड 2 से खंड 5 के तहत की गई अनुशंसाओं पर विचार-विमिश्न किया गया था। 13वीं बैठक में शेष 2 खंडों 6 और 7 पर विचार-विमिश्न किया गया। इन 2 खंडों में कुल 88 अनुशंसाएँ की गई हैं।
- खंड 6 में की गई अनुशंसाएँ पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन तथा अवसंरचना से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत (1) पर्यावरण, (2) जल, (3) वन, (4) खननिज तथा (5) अवसंरचना के विषय शामिल हैं।
- खंड 7 सामाजिक-आर्थिक विकास, लोक नीतितथा उत्तम प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत (1) लोकनीति, संवैधानिक प्रशासन व लोक प्रशासन, (2) सामाजिक राजनीतिक विकास तथा प्रशासन पर इसका परावाव, (3) लोगों की मौलिक जरूरतें, नीति-निरिदेशक तत्त्व तथा राज्य का उत्तरदायत्व, केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाएँ व केंद्र-राज्य संबंध, (4) पलायन, मानव विकास तथा संवैधानिक प्रशासन के समक्ष चुनौतियाँ तथा (5) उत्तम प्रशासन तथा जनसेवा के विषय शामिल हैं।
- स्थायी समतिकी अनुशंसाओं को निरिण्य के लिये अंतर्राज्यीय परिषिद के समक्ष रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राज्यीय परिषिद की बैठक 10 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात् 2016 में आयोजित की गई थी।

### पुंछी आयोग

- भारतीय राजनीतिएवं अरथवयवस्था में आए परविरतनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिये 2005 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूरतीभिन्न मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया।
- रपोर्ट 7 खंडों में है और अनुशंसाएँ केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक व केंद्र-राज्य संबंधों का प्रदर्शन, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध तथा योजना नियमाण, स्थानीय स्वशासन एवं वर्किंगरीकृत प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय व केंद्र-राज्य सहयोग, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और अवसंरचना तथा सामाजिक आर्थिक विकास, लोक नीति व उत्तम प्रशासन आदि विषयों से संबंधित हैं।

### सरकारया आयोग

- केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये न्यायमूरतीआर.एस. सरकारया की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग गठित किया था।
- सरकारया आयोग ने भारत के संवधिन के अनुच्छेद 263 के अनुसार परभिषति अधिदिश के अनुसरण में परामर्श करने के लिये एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषिद स्थापित किया जाने की महत्त्वपूर्ण सफिरशि की थी।

### अंतर्राज्यीय परिषिद

- इस सफिरशि के अनुसरण में संवधिन के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के दिनांक 28 मई, 1990 के आदेश के तहत, अंतर्राज्यीय परिषिद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 को हुई थी।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री परिषिद के सदस्य होते हैं।
- अंतर्राज्यीय परिषिद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल और विमिश्न करने का अधिकार है।
- इस पर, ऐसे विवादों पर सफिरशि देने और नीतितथा कार्य के बीच बेहतर समन्वय के लिये सुझाव देने का दायतिव भी है।

